संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/ 3171 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 राकेश धनकार, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, त्यौथर,
जिला–रीवा, मध्यप्रदेश।

द्वारा:-- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– रीवा ।

विषयः– डॉ0 राकेश धनकार, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, त्यौथर, जिला– रीवा के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 राकेश धनकार, सिविल अस्पताल, त्यौथर, जिला–रीवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3172 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– रीवा ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 राकेश धनकार, एल. एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, त्यौथर, जिला– रीवा मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड़ पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3136 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 चंपा बघेल, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, बागली,
जिला–देवास, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– देवास ।

विषय:– डॉ0 चंपा बघेल, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, बागली, जिला– देवास के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

—00—

यह कि आप डॉ0 चंपा बघेल, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, बागली, जिला– देवास में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/537 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– देवास ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 चंपा बघेल, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, बागली, जिला–देवास मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3138 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 सुजीत मिश्रा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, सिरमौर,
जिला–रीवा, मध्यप्रदेश।

द्वारा:-- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– रीवा ।

विषयः– डॉ0 सुजीत मिश्रा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सिरमौर, जिला– रीवा के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

ह

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, सिरमौर, जिला–रीवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होंने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3139 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– रीवा ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 सुजीत मिश्रा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, सिरमौर, जिला–रीवा मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3140 भोपाल, दिनांक 19/11/19

प्रति,

डॉ0 उषा गेहलोत, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, कसरावद,
जिला–खरगौन, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–खरगौन ।

विषय:– डॉ0 उषा गेहलोत, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, भीकनगॉव, जिला–खरगौन,के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 उषा गेहलोत, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, कसरावद, जिला–खरगौन में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरंवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/ भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– खरगौन ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खरगौन की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 उषा गेहलोत, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, कसरावद, जिला--खरगौन मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3142 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 प्रतिभा मंगरन, ई--मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, भीकनगॉव,
जिला–खरगौन, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–खरगौन ।

विषय:– डॉ0 प्रतिभा मंगरन, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, भीकनगॉव, जिला–खरगौन,के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 प्रतिभा मंगरन, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, भीकनगॉव, जिला–खरगौन में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था !

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे ! आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरबाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3144 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 निकुंजा शिवन, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, घाटाविल्लौद,
जिला–धार, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– धार।

विषय:– डॉ0 निकुंजा शिवन, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, घाटाविल्लौद,जिला– धार के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 निकुंजा शिवन, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, घाटाविल्लौद, जिला– धार में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3145 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– धार ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, देवास की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 निकुंजा शिवन, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, घाटाविल्लौद जिला– धार मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3147 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 दुर्गा प्रसाद जाटव, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, उन्हेल,
जिला–उज्जैन, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– उज्जैन ।

विषय:– डॉ0 दुर्गा प्रसाद जाटव, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, उन्हेल, जिला–उज्जैन के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 दुर्गा प्रसाद जाटव, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, उन्हेल, जिला–उज्जैन में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3148 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– उज्जैन ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,उज्जैन की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 दुर्गा प्रसाद जाटव, प्राथ. स्वास्थ्य केन्द्र, उन्हेल, जिला–उज्जैन मध्यप्रदेश को तामील कराते हुयें, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/ 3149 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 अरून मिश्रा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, देवराजगढ,
जिला–सतना, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– सतना ।

विषय:– डॉ0 अरून मिश्रा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, देवराजगढ, जिला–सतना के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 अरून मिश्रा, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, देवराजगढ, जिला–सतना में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3150 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सतना ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सतना की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 अरून मिश्रा,सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, देवराजगढ, जिला–सतना मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3151 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 विजय गोलनदास, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, रामपुरा,
जिला–नीमच, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– नीमच ।

विषय:– डॉ0 यशवंत शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, रामपुरा, जिला–नीमच के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 विजय गोलनदास, सिविल अस्पताल, रामपुरा,जिला– नीमच में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3152 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– नीमच ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 विजय गोलनदास, एल. एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, रामपुरा, जिला– नीमच मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3153 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 निशांत शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलिया मंडी,
जिला–मंदसौर, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– मंदसौर ।

विषय:– डॉ0 निशांत शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलिया मंडी, जिला– मंदसौर के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 निशांत शर्मा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलिया मंडी, जिला–मंदसौर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3154 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग,उज्जैन, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला–मंदसौर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मंदसौर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 निशांत शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपलिया मंडी,जिला–मंदसौर मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3155 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 राजेश कुमार मीना, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, जावद,
जिला–नीमच, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– नीमच ।

विषय:– डॉ0 राजेश कुमार मीना, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जावद,जिला– नीमच के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 राजेश कुमार मीना, सिविल अस्पताल, जावद, जिला– नीमच में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3156 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– नीमच ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 राजेश कुमार मीना, एल. एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, जावद, जिला– नीमच मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3157 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 यशवंत शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भितरवार,
जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– ग्वालियर ।

विषय:– डॉ0 यशवंत शर्मा, एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भितरवार जिला–ग्वालियर के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

ह

–00–

यह कि आप डॉ0 यशवंत शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भितरवार, जिला–ग्वालियर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3158 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला–ग्वालियर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 यशवंत शर्मा,एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,भितरवार जिला–ग्वालियर मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/ 3159 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 अभिषेक दीक्षित, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, डबरा,
जिला–ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– ग्वालियर ।

विषय:– डॉ0 अभिषेक दीक्षित, एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, डबरा जिला–ग्वालियर के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 अभिषेक दीक्षित, सिविल अस्पताल, डबरा, जिला–ग्वालियर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3160 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला–ग्वालियर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 अभिषेक दीक्षित, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल, डबरा जिला–ग्वालियर मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/ 3160 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 मनीष शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,मेहगांव,
जिला–भिण्ड, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–भिण्ड ।

विषय:– डॉ0 मनीष शर्मा, एल.एस.ए.एस., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहगांव जिला–भिण्ड के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 मनीष शर्मा,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहगांव, जिला–भिण्ड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस.प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे ! आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3162 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
2. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
4. कलेक्टर, जिला–भिण्ड ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिण्ड की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 मनीष शर्मा, एल.एस.ए. एस.,प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेहगांव जिला–भिण्ड मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
7. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3163 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 कीर्ति बौरासिया, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, मनावर,
जिला–धार, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– धार।

विषय:– डॉ0 कीर्ति बौरासिया, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, मनावर, जिला– धार के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 कीर्ति बौरासिया, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, मनावर, जिला– धार में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3164 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– धार ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धार की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 कीर्ति बौरासिया, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वास्थ्य केन्द्र, मनावर, जिला– धार मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3165 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 योगेश शुक्ला,एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परासिया
जिला–छिंदवाडा, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–छिंदवाडा ।

विषय:– डॉ0 योगेश शुक्ला,एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परासिया जिला–छिंदवाडा के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस।

–00–

यह कि आप डॉ0योगेश शुक्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परासिया जिला–छिंदवाडा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे। आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3166 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला–छिंदवाडा ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छिंदवाडा की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 योगेश शुक्ला,एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,परासिया,जिला–छिंदवाडा मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेब साइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3167 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 संदीप गौतम, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, गौरझामर,
जिला–सागर, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सागर ।

विषय:– डॉ0 संदीप गौतम, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र, गौरझामर, जिला–सागर,के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 संदीप गौतम, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र,गौरझामर, जिला–सागर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उंद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3168 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग, सागर मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सागर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सागर की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 संदीप गौतम, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, प्राथ.स्वास्थ्य केन्द्र,गौरझामर, जिला–सागर मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे ! आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमाक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र कमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3169 भोपाल, दिनांक 14/11/19

प्रति,

डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक., प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, क्यौलारी,
जिला–सीधी, मध्यप्रदेश।

द्वारा:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सीधी ।

विषय:– डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी के विरूद्व मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 16 अतर्गत कारण बताओ नोटिस ।

–00–

यह कि आप डॉ0 सुजीत मिश्रा, सिविल अस्पताल, क्यौलारी जिला–सीधी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवायें एवं आपातकालीन प्रसूति सेवाओ की गुणवत्तापूर्ण प्रदायगी हेतु विभाग द्वारा एफ.आर.यू.के रूप में प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हांकन किया गया है। वे एफ.आर.यू.संस्थायें जहॉ स्त्री रोग एवं निश्चेतना विशेषज्ञ पदस्थ न होने के कारण अक्रियाशील है, उन्हें ई–मॉक एवं एल.एस.ए.एस. प्रशिक्षित चिकित्सकों के कौशल का उपयोग कर क्रियाशील करने हेतु दिनांक 18.10.2019 को कांउसिलिंग सत्र Buddy Buddy का आयोजन किया गया था ।

उक्त कांउसिलिंग सत्र में आपको पत्र क्रमांक एन.एच.एम./एम.एच./4345 दिनांक 11.10.2019 द्वारा अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु आप अनुपस्थित रहे । आपको एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण इस उद्देश्य के साथ दिया गया था कि आप आपातकालीन प्रसूति सेवायें देकर प्रदेश के एफ.आर.यू. को क्रियाशील करेगे, किन्तु आपके द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना की गई है। जो आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है।

आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 के उप नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उक्त कृत्य करके आप अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गए हैं।

अतः आप नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 नियम 10(3) के अन्तर्गत आपसे एल.एस.ए.एस.,प्रशिक्षिण पर विभाग द्वारा व्यय की गई राशि की वसूली की जावें एवं दिनांक 18.10.2019 को अवैतनिक किया जावे ? यदि आपका उत्तर समय–सीमा में प्राप्त नहीं होता है, तो यह मानकर कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा ।

(छवि भारद्वाज)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

.....2

क्र. 4/शिका./सेल–4/एस.सी.एन./2019/3170 भोपाल दिनांक 14/11/19

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः--

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, भोपाल।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम.,मध्य प्रदेश ।
3. उप संचालक विज्ञप्त/गोपनीय शाखा/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग, रीवा, मध्य प्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला– सीधी ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीधी की ओर जारी कारण बताओं नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस की प्रति डॉ0 ग्लौरिया लकरा, ई–मॉक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल क्यौलारी जिला–सीधी मध्यप्रदेश को तामील कराते हुये, तामीली रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता को 03 दिवस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करावें।
8. आदेश नस्ती।

आयुक्त स्वास्थ्य
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
मध्य प्रदेश